हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय। प्रार्थनापत्र निरीक्षण अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस करना चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस आइन्दा दिनांक 5/5/22 को पेश हो।	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय। पत्रावली वास्ते बहस आइन्दा दिनांक 18/5/22 को पेश हो।	
18/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप.1 पीठासीन अधिकारी आज दिगर कार्य में [illegible]/भ्रमण/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 06/06/22 को पेश हो।	
6/6/22	पत्रावली पेश [illegible] आज अधिभाषकगण न्यायालय [illegible] कर रहे हैं। अतः पत्रा[illegible]नुसार आइन्दा दिनांक 6/7/22 को पेश हो	
6/7/22	वकुलाय उभय। बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। ~~आदेश~~ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली ~~किये~~ जाने से अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

2021/12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 15/2021

सुभाषचन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र जमनाराम जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू — आवेदक

बनाम

1. दलीपसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपुत निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. नाराणा पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. इन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जात राजपुत
4. उमरावसिंह उत्तक पुत्र भंवरसिंह उर्फ रधुनाथसिंह
5. भगवानसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति राजपुत निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. सम्पत सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गोवन्दसिंह जाति राजपुत निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. हिम्मतसंह पुत्र गोवन्दसिंह जाति राजपुत निवासी निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
9. मुकेश पुत्र पुरूषोतमदास जाति ब्राहमण निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. रतनी देवी पत्नी पुरूषोतमदास जाति ब्राहमण निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. राजस्थान सरकार जरये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू — अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.07.2022

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम निराधनु पटवार हल्का निराधनु में भूमि ख0न0 502 रकबा 0.53 है0, ख0न0 508 रकबा 0.01 है0, ख0न0 509 रकबा 0.78 है0, ख0न0 527 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। आवेदकगण अपनी खातेदारी काश्तकारी की उक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवाना चाहते है। जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार मलसीसर के आदेश दिनांक 02.12.2020 से करवाया जा चुका है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी मुताबिक सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 5, 7 व 10 बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 5, 7 व 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, 6, 8 व 9 की ओर से जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करनी चाही।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। तमाम साक्ष्य सबूतों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 6, 8 व 9 की ओर से दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर ग्राम ग्राम निराधनु पटवार हल्का निराधनु में भूमि ख0न0 502 रकबा 0.53 है0, ख0न0 508 रकबा 0.01 है0, ख0न0 509 रकबा 0.78 है0, ख0न0 527 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण की मौजुदगी में सीमाकंन का पूर्ण नाप अंकित करते हुये पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि दो भू–अभिलेख निरीक्षक एवं दो पटवारीगण की संयुक्त टीम गठित कर पक्षकारान की मोजुदगी में प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/7/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर